भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 551

जिसका उत्तर 22 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

झारखंड में कोयले का अवैध खनन

551. श्री नलिन सोरेन:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि झारखंड के धनबाद जिले के सिंदरी-तासरा में किसी कंपनी द्वारा बड़े पैमाने पर कोयले का अवैध खनन और तस्करी गतिविधियां की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान धनबाद में अवैध खनन के विरुद्ध की-गई-कार्रवाई, दर्ज किए गए मामलों, की गई गिरफ्तारियों और जब्त किए गए कोयले की मात्रा का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अवैध खनन को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए राज्य सरकार, कोल इंडिया लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और संबंधित एजेंसियों के साथ कोई संयुक्त कार्य-योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) धनबाद में अवैध खनन, पर्यावरणीय क्षति तथा जान-माल के नुकसान को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और उठाए जाने हैं?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री

(श्री सतीश चन्द्र दुबे)

(क) : केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) से झारखंड के धनबाद जिले में सिंदरी तसरा में तासरा ओपन कास्ट परियोजना (ओसीपी) से कोयले के अवैध खनन अथवा तस्करी की किसी घटना की सूचना नहीं मिली है।

(ख) : पिछले तीन वर्षों के दौरान धनबाद में अवैध खनन के विरुद्ध केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के माध्यम से की गई कार्रवाई, दर्ज किए गए मामले, की गई गिरफ्तारियां और जब्त किए गए कोयले की मात्रा का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है -

वर्ष	कुल छापे	अवैध खनन को बंद करना	दर्ज मामले	की गई गिरफ्तारी	जब्त कोयला (टन)
2024	499	337	50 स्टेशन डायरी प्रविष्टियाँ	13	9,505.06
2025	675	477	18 दैनिक डायरी प्रविष्टि और 01 एफआईआर	13	12,562.10
2026 (आज की तारीख की स्थिति के अनुसार)	325	294	12 स्टेशन डायरी प्रविष्टियाँ; 09 व्यक्तियों के विरुद्ध एमएमडीआर अधिनियम के तहत न्यायालय के समक्ष 07 शिकायतें दर्ज की गई	06	4,673.15

(ग) और (घ) : अवैध खनन और कोयले की चोरी की रोकथाम सहित कोयला क्षेत्र की सुरक्षा पर अंतर-मंत्रालयी और अंतर-एजेंसी समन्वय को सुदृढ़ करने के लिए अपर सचिव, कोयला मंत्रालय की अध्यक्षता में कोयला क्षेत्र समन्वय समिति का गठन किया गया है। इस समिति में कोयला मंत्रालय, गृह मंत्रालय, खान मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियों, सीआईएसएफ, संबंधित राज्य सरकारों और कोयला खनन क्षेत्रों में तैनात अन्य सुरक्षा बलों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, अवैध खनन और कोयले की चोरी की निरंतर निगरानी और रोकथाम के लिए जिला और क्षेत्र दोनों स्तरों पर एक समर्पित कार्यबल का गठन किया गया है। जिला स्तर पर, कार्य बल उपायुक्त (डीसी) की अध्यक्षता में कार्य करता है। कार्यबल की बैठकों के दौरान लिए गए निर्णयों के अनुसार बीसीसीएल, जिला प्रशासन, पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से आवश्यक निवारक और प्रवर्तन कार्रवाई की जाती है।

(ङ) : उपर्युक्त विवरण के अलावा, धनबाद में अवैध खनन, पर्यावरणीय क्षति और जान-माल की हानि को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं -

(i) सरकार ने अवैध खनन और कोयला चोरी के लिए वर्ष 2018 में नागरिक-आधारित रिपोर्टिंग सिस्टम अर्थात् ''खनन प्रहरी'' ऐप और एक वेब ऐप कोयला खान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली (सीएमएसएमएस) लांच किया ताकि अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों को रिपोर्ट किया जा सके।

(ii) कोयले के अवैध खनन और चोरी के विरूद्ध त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने की सुविधा के लिए, कोयला मंत्रालय ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की

धारा 21(4) (अवैध गतिविधि को करने या उसमें मदद करने के लिए इस्तेमाल किए गए औजार, उपकरण, वाहनों या कोई अन्य वस्तु जब्त करना), धारा 22 (अपराधों का संज्ञान लेना), धारा24 (प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति) और 23ख (तलाशी लेने की शक्ति) के तहत दिनांक 21.11.2025 और 01.07.2026 को अधिसूचनाएं जारी की हैं। इन अधिसूचनाओं के माध्यम से, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियों के नामित अधिकारियों के साथ-साथ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के अधिकारियों को सशक्त बनाया गया है।

(iii) अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए भौतिक सुरक्षा, प्रौद्योगिकीय निगरानी, आसूचना एकत्र करने और प्रवर्तन कार्रवाइयों को शामिल करते हुए एक बहु-स्तरीय तंत्र तैनात किया गया है। अवैध कोयला, वाहन और उपकरण जब्त करके विश्वसनीय आसूचना के आधार पर नियमित रूप से लक्षित छापे मारे जा रहे हैं। सहायक कंपनियों का प्रबंधन अवैध खनन की सूचना मिलने पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराता है। राज्य/जिला प्रशासन दर्ज एफआईआर पर आगे की कार्रवाई करता है।

(iv) अधिक समन्वित और प्रभावी सुरक्षा ढांचा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई है।

(v) सीआईएसएफ की मैनपावर को युक्तिसंगत बनाने के लिए कोर और नॉन-कोर क्षेत्रों की पहचान की गई है ताकि सुरक्षा तैनाती को अधिक केंद्रित, जोखिम-आधारित और कुशल बनाया जा सके।

(vi) खान प्रबंधन और स्थानीय पुलिस के समन्वय से कार्यनीतिक स्थानों पर संयुक्त सुरक्षा जांच चौकियां स्थापित की गई हैं।

(vii) महत्वपूर्ण अवसंरचना, कोयला परिवहन मार्गों और संदिग्ध गतिविधियों के लिए एकीकृत कमान और नियंत्रण केन्द्र (आईसीसीसी) के माध्यम से निगरानी की जाती है। अवैध खनन स्थलों और अनधिकृत खान ओपनिंग को चिन्हित करने के लिए सीआईएसएफ ड्रोन टीम द्वारा ड्रोन निगरानी की जाती है। निगरानी के निष्कर्षों के आधार पर, अवैध ओपनिंग की डोजिंग/क्लोजिंग, जहां कहीं लागू हो, अवैध रूप से निकाले गए कोयले की वसूली और अन्य निवारक उपाय करने जैसी त्वरित कार्रवाई की जाती हैं।

(viii) कोयले के अवैध परिवहन को रोकने के लिए वाहन ट्रैकिंग प्रणाली का उपयोग तेज कर दिया गया है। कोयले की अवैध आवाजाही पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से खनन और आसपास के क्षेत्रों में वाहनों की औचक जांच तेज कर दी गई है।

(ix) सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी सरकार की 'शून्य कोयला रिसाव' नीति को सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण करते हैं और नियमित रूप से फील्ड के दौरे करते हैं। कोयला डंप, रेलवे साइडिंग पर, छापा मारने वाली टीमों में सीआईएसएफ कार्मिकों की तैनाती में वृद्धि की गई है।

(x) इन क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए परित्यक्त खानों के मुहाने पर कंक्रीट की दीवारें खड़ी की गई हैं। बाड़ लगाकर, उचित प्रकाश-व्यवस्था और चौबीसों घंटे पहरा देकर कोयला डंपों पर सुरक्षा को मजबूत किया गया है।

(xi) पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए, कोयला खानों/परियोजनाओं के सभी समूहों के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसमें वायु, जल, भूमि, सामाजिक आर्थिक प्रभाव आदि के लिए पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारित किए जाते हैं। पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तैयार और अनुमोदित की जाती है ताकि आस-पास के गांवों/बस्तियों पर खनन गतिविधि के किसी भी प्रभाव को कम किया जा सके। पर्यावरणीय मापदंडों (वायु, जल और ध्वनि) के लिए नियमित रूप से पर्यावरण निगरानी की जाती है।

(xii) पुनरावृत्ति को रोकने के लिए दुर्घटनाओं का मूल कारण विश्लेषण (आरसीए) किया जाता है। कर्मचारी परिवहन प्रबंधन प्रणाली (ईटीएमएस), मशीनीकरण और रियल टाइम निगरानी प्रणाली सहित उन्नत सुरक्षा अवसंरचना स्थापित की गई है। आपातकालीन तैयारियों को मजबूत करने और समग्र खान सुरक्षा में सुधार के लिए नियमित मॉक ड्रिल, वैज्ञानिक अध्ययन और केंद्रित सुरक्षा अभियान भी आयोजित किए जाते हैं।
